निदेशक मण्डल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की
270वीं बैठक दिनांक 07 मार्च,2025 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 270वीं बैठक मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद श्री पी0 गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

1.	श्री पी0 गुरु प्रसाद,	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	अध्यक्ष
2.	डा0 बलकार सिंह,	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3.	डा0 नीरज शुक्ला,	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	संयोजक
4.	श्री महेश चन्द्र पाण्डेय	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
5.	श्री डी0वी0 सिंह,	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
6.	श्री अनिल कुमार मिश्र,	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
7.	श्री संजीव कश्यप,	मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
8.	श्री कल्याण बनर्जी,	प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
9.	श्री सी0पी0 त्रिपाठी,	प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य

विषय सूची

मद सं0	विषय	अनुभाग	निर्णय
270/1	परिषद की 269वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर,2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 269वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर,2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।
270/2	परिषद की 269वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर,2024 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 268वीं बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2024 एवं 269वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर 2024 का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित प्रस्तावों में कार्यवाही पूर्ण नहीं है, उन्हें आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय। मद संख्या-268/5 – अवगत कराया गया है कि अभी तक सिर्फ 03 इमारतों का स्ट्रक्चरल आडिट किया गया है। स्ट्रक्चरल आडिट करने की व्यवस्था आवास विकास

			परिषद की इमारतों में भी लागू की जाये। आगामी बोर्ड बैठक में यह भी स्पष्ट किया जाये कि स्ट्रक्चरल आडिट परीक्षण परियोजना के किस चरण में कर लिया जायेगा। अनिस्तारित। **मद संख्या–268/8–** दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आगामी बैठक में रखा जाय। अनिस्तारित। **मद संख्या–268/10** – सेवक सहकारी आवास समिति में प्राप्त लीगल एडवाइज का परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाय। अनिस्तारित। **मद संख्या–268/12**– सेवानिवृत्त सैनिकों को आवंटित भूमि एवं उनसे खाली कराई गई भूमि का विवरण आगामी बैठक में रखा जाय। अनिस्तारित। **मद संख्या–268/14** – मौके पर अब तक की गई कार्यवाही का अद्यतन विवरण रखा जाय। अनिस्तारित। **मद संख्या–268/16** – पिछली बोर्ड बैठक से अब तक की गयी कार्यवाही से आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाये। अनिस्तारित। **मद संख्या–268/26** – अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाय। अनिस्तारित। **मद संख्या–268/30** – रजिस्ट्री कराकर अवगत कराया जाय। अनिस्तारित। **मद संख्या–269/3–** महालेखाकार की अद्यतन कार्यवाही सहित रिपोर्ट सदन में रखी जाय। एकाउंटिंग साफ्टवेयर पर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये। अनिस्तारित।

			मद संख्या–269/16 – संस्था के वर्तमान प्रबन्धक/मैनेजर से प्रार्थनापत्र/शपथ पत्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किया जाय। **मद संख्या–269/17**– अयोध्या विकास प्राधिकरण के सम्पर्क में रह कर अग्रिम कार्यवाही करायी जाय। अनिस्तारित। **मद संख्या–269/27** – शासन को पुनः प्रेषित करें। अनिस्तारित।
270/3	श्री राजेश कुमार मेहतानी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ.एस.डी. के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित। परिषद अधिकारियों से विकल्प का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।
270/4	श्री शिव बहादुर चौरसिया, सेवानिवृत्त चकबन्दी कर्ता, राजस्व विभाग (चकबन्दी) एवं श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त लेखपाल, राजस्व विभाग (चकबन्दी) को सेवानिवृत्ति के पश्चात उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में फिक्स मानदेय रू0 20,000/- (बीस हजार रूपये) पर दिनांक 01-04-2025 से दिनांक 31-03-2026 तक सेवा विस्तार किये जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित। अयोध्या में भूमि अर्जन की कार्यवाही समयवद्ध तरीके से पूर्ण की जाय।
270/5	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय में स्थापित विधि अनुभाग में ओ0एस0डी0 का सेवाकाल विस्तारित किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित। स्थायी व्यवस्था के बारे में प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।
270/6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सर्वेयर, स्वागत तकनीकी	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति

	सहायक एवं सहायक उद्यान निरीक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन किये जाने के संबंध में।		इस शर्त के साथ अनुमोदित की शैक्षिक समकक्षता के सम्बन्ध में अन्य विभागों से पता कर आवास आयुक्त से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त किया जाय।
270/7	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में राज्य सरकार/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन निगम से लेखा संवर्ग के सेवानिवृत कर्मचारियों को सीमित अवधि के लिए फिक्स मानदेय पर, संविदा पर Account Advisor के पद पर अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित है कि पदों की संख्या तथा औचित्य का परीक्षण तथा नियुक्त करने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।
270/8	अयोध्या मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में संचालित योजनाओं को गतशीलता प्रदान करने हेतु डा0 राजेश नाथ त्रिपाठी, सेवानिवृत्त, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को परिषद हित में ओ0एस0डी0-अयोध्या के पद पर दिनांक 01-04-2025 से दिनांक 31-03-2016 तक के लिए अनुबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रश्ताव अनुमोदित। भविष्य में प्रतिनियुक्ति पर लेने पर आवास आयुक्त को सम्बन्धित विभाग से पत्राचार करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
270/9	श्री एम0बी0 कौशिक, सहायक अभियन्ता के विरूद्ध सिविल सर्विस रेगुलेशन्स का अनुच्छेद-351ए' के अन्तर्गत गठित विभागीय ज़ांच की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुशासनिक	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
270/10	परिषद की विभिन्न योजनाओं में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटो	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त यह अनुमोदित किया गया कि विशेष पंजीकरण योजना तृतीय

	(G+3 एवं बहुमंजिला) के निस्तारण हेतु 15 प्रतिशत की छूट किये जाने विषयक मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।		चरण एवं FCFS की व्यवस्था जैसी पहले प्रवृत्त थी उसी के अनुसार कैबिनेट से कास्टिंग गाइड लाईन के स्वीकृत होने अथवा 30 अप्रैल जो भी पहले हो तक चलायी जाय।
270/11	आगरा शहर में बी0एस0यू0पी0 योजना के अन्तर्गत कालिन्दी विहार द्वितीय पाकेट में परिषद द्वारा निर्मित 272 नग भवन में अनाधिकृत अध्यासन तथा इनकी वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में परिषद मुख्यालय पर अपर आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 11-09-2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भूमि तथा धनराशि वापसी के सम्बन्ध में डूडा/नगर विकास के साथ किए गये अनुबन्ध के प्राविधानों का अध्ययन कर सम्यक प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
270/12	मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-17 में अर्द्धनिर्मित 1856 नग बहुमंजिले भवनों के निस्तारण का प्रस्ताव।	अभियन्त्रण	अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव परिषद के लिए लाभकारी होगा। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से संज्ञानित किया गया।
270/13	आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ के सेक्टर एच-6 निर्माणाधीन आम्रपाली इन्क्लेव परियोजना के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि पहले शीघ्र CBRI या अन्य सक्षम संस्था से बिल्डिंग की Safty के बारे में तकनीकी परीक्षण करा लिया जाय। इसी मध्य फ्लैटों की बिक्री का डिमाण्ड सर्वे भी करा लिया जाय। खुद विकसित करके विक्रय करने या जैसे जहाँ के आधार पर नीलामी के विकल्पों का अध्ययन कर अपना मत स्थिर करते हुए प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय। साथ ही आर्विटेशन के मामले में प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित की जाय।

270/14	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित प्रयागराज-रायबरेली-लखनऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, टिकरी, प्रयागराज के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 का नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित निम्न बिन्दुओं पर भी रिपोर्ट ले ली जाय :- (1) लैण्डयूज चेक करा लिया जाय। (2) फनल जोन के बारे में भी ज्ञात किया जाय। (3) डिमाण्ड सर्वे भी करा लिया जाय।
270/15	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 झाँसी, के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 का नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित निम्न बिन्दुओं पर भी रिपोर्ट ले ली जाय :- (1) लैण्डयूज चेक करा लिया जाय। (2) फनल जोन के बारे में भी ज्ञात किया जाय। (3) डिमाण्ड सर्वे भी करा लिया जाय।
270/16	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित मेरठ-हापुड़ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मेरठ के अधिगृहण हेतु परिषद की धारा-28 का नोटिफिकेशन किये जाने के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित निम्न बिन्दुओं पर भी रिपोर्ट ले ली जाय :- (1) लैण्डयूज चेक करा लिया जाय। (2) फनल जोन के बारे में भी ज्ञात किया जाय। (3) डिमाण्ड सर्वे भी करा लिया जाय।
270/17	परिषद की वृन्दावन योजना संख्या-2, लखनऊ में समाविष्ट सेवक सहकारी आवास समिति लि0 की नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त भूमि के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि लीगल एडवाइजर की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
270/18	परिषद की भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बरेली शाहजहाँपुर मुख्य बाईपास रोड परसाखेड़ा बरेली में समाविष्ट ग्रामों में घटे व बढ़े हुए क्षेत्रफल के अर्जन के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	परिषद, अधिनियम-1965 की धारा-33 के अन्तर्गत सपठित अनुसूची (धारा-55) की धारा-2(3) सहपठित धारा-31(2) के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।		
270/19	भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत परिषद योजनाओं के अभिनिर्णय के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल द्वारा बाईसर्कुलेशन दिनांक 04-02-2025 के माध्यम से लिये गये निर्णय के अवलोकनार्थ।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
270/20	परिषद की अवध विहार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या-1652 में नियोजन समिति द्वारा अर्जनमुक्त 0.025 हे0 भूमि को अन्यत्र दिये जाने के सम्बन्ध में। **(पिछली बैठक से)**	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है कि पुनः तथ्यों का परीक्षण करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
270/21	बेतियाहाता दक्षिणी भूमि विकास एवं गृहस्थान, गोरखपुर में 1.90 एकड़ अर्जन मुक्त भूमि के सम्बन्ध में। **(पिछली बैठक से)**	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की भूमियों के सम्बन्ध में शासन में प्रचलित नीति के आलोक में परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
270/22	सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद में 13 नग सहकारी आवास समितियों की समायोजित भूमि के सम्बन्ध में गठित समिति की जाँच आख्या दिनांक 19-09-2024 एवं 23-12-2024 की रिपोर्ट मा0	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

	निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत की जाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी। **(पिछली बैठक से)**		
270/23	सहायक वास्तुविद नियोजक नियमावली-1979 एवं वास्तुविद सहायक नियमावली-1998 के विनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में।	प्रशासन	बैठक में उपस्थित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अभिमत के आधार पर सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया जाता है कि – **(1)** सहायक वास्तुविद नियोजक की शैक्षिक अर्हताएं के सम्बन्ध में भाग–4 (ख) के विनियम–10 (1)(ख) के अन्तर्गत 02 वर्षीय सीमा को हटा दिया जाय। **(2)** भाग–4 विनियम 10(1) के (क) (ख) के मध्य "एवं" का अंकन किया जाय। Appendix Q में अंकित समकक्ष अर्हता में नगर तथा ग्राम नियोजन आवासिकी में Q(i) एवं वास्तुविद की डिग्री की समकक्षता के अन्तर्गत Q(ii) का अंकन किया जाय।
270/24	**निजी सचिव कार्मिकों को स्टाफ आफिसर के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया कि केवल शासन से स्वीकृत पद के सापेक्ष प्रोन्नति की कार्यवाही की जाय।
270/25	**आशुलिपिक ग्रेड-02 के पद से निजी सचिव के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया कि केवल शासन से स्वीकृत पद के सापेक्ष प्रोन्नति की कार्यवाही की जाय। बोर्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार शासन से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

270/26	वृन्दावन योजना सं0-4, लखनऊ के सैक्टर-18 में कैलाश एन्क्लेव परियोजना के अन्तर्गत ब्लाक-ए व बी में 352 नग फ्लैटों के रोके गये फिनिशिंग कार्यों को पूर्ण कराने की अनुमति के सम्बन्ध में।	अभियन्त्रण	अवगत कराया गया कि इस योजना हेतु इस योजना में निर्मित फ्लैट्स हेतु पर्याप्त मांग है। अतः उक्त के कम में प्रस्ताव सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त अनुमोदित।
270/27	परिषद की नई जेल रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, मोहनलालगंज, लखनऊ का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
270/28	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित संस्थागत भूखण् संख्या-24/7 पर आवासीय फ्लैटों के निर्माण कार्य हेतु निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल के समक्ष व्याख्यात्मक टिप्पणी।	सम्पत्ति	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त यह निश्चय किया गया कि निर्धारित अवधि के पश्चात सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं हेतु नीति तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
270/29	परिषद की पाण्डेयपुर योजना वाराणसी में श्री राज कुमार पटेल व अन्य की विवादित भूमि के सामाधान के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
270/30	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित मुजफ्फरनगर-जानसठ रोड, भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-3, मुजफ्फरनगर के अधिग्रहण हेतु परिषद की धारा-28 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित निम्न बिन्दुओं पर भी रिपोर्ट ले ली जाय :– (1) लैण्डयूज चेक करा लिया जाय। (2) फनल जोन के बारे में भी ज्ञात किया जाय। (3) डिमाण्ड सर्वे भी करा लिया जाय।
270/31	परिषद की सिकन्दरा योजना आगरा	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया

	में स्थित खसरा संख्या-720 रकबा 2 बीघा (4610.00) वर्ग मी0 भूमि को पुष्पांजलि गार्डेनिया के पक्ष में वर्तमान भूमिदर पर आवंटन के सम्बन्ध में।		जाता है कि काश्तकार/भू–स्वामी द्वारा मुआवजा प्राप्त कर वाद वापस करने पर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
270/32	वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष-2025-26 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	वित्त एवं लेखा	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया
270/33	उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के अन्तर्गत मै0 शालीमार कॉर्प लि0 के द्वारा बाराबंकी जनपद में ग्राम-खजूरगाँव एवं तिन्दोला तहसील-नवाबगंज (158.79 एकड़ भूमि) के डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक में रखें।
270/34	परिषद की वृन्दावन योजनाओं सेक्टर-15 में आई0टी0 पार्क एवं ए0आई0 सिटी हेतु सृजित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	प्रस्ताव में कतिपय तथ्य समाहित न होने के कारण वापस लिया गया।
270/35	परिषद की वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-7 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सेटेलाईट सेंटर खोले जाने हेतु भूमि का नियोजन किये जाने के सम्बंध में।	वास्तुकला एवं नियोजन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोंपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
270/36	अध्यक्ष महोदय की अनुमति के कोई अन्य विषय।		

अनुमोदित,

(पी0गुरु प्रसाद)
अध्यक्ष